

संवैधानिक प्रावधान जो राज्य को आरक्षण प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं

- **संवैधानिक प्रावधान 15 राज्य को नमिनलखिति प्रावधान करने का अधिकार देता है:**
 - अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिये कोई भी विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
 - अनुच्छेद 15(4) राज्य को नागरिकों के किसी भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों या अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की उन्नतता के लिये कोई विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।
 - अनुच्छेद 15(5) नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पछिड़े वर्गों के साथ-साथ SCs एवं STs की उन्नतता के लिये विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है, विशेष रूप से नज्दी संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के संबंध में।
 - अनुच्छेद 15(6)(a) राज्य को खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) की उन्नतता के लिये विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।
 - अनुच्छेद 15(6)(a) राज्य को खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) की उन्नतता के लिये विशेष प्रावधान करने का उपबंध करता है। ये प्रावधान विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थानों (नज्दी सहित) में उनके प्रवेश से संबंधित हैं।
- **अनुच्छेद 16 लोक नयोजन के विषय में सकारात्मक भेदभाव या आरक्षण का आधार प्रदान करता है।**
 - अनुच्छेद 16(4) में प्रावधान है कि राज्य नागरिकों के किसी भी ऐसे पछिड़े वर्ग के पक्ष में नयुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है, जिनका राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है।
 - अनुच्छेद 16(4a) में प्रावधान है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष में पदोन्नतता के मामलों में आरक्षण के लिये कोई भी प्रावधान कर सकता है यदि उन्हें राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है।
 - अनुच्छेद 16(6) में प्रावधान है कि राज्य किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पक्ष में नयुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये कोई उपबंध कर सकता है।

आरक्षण का क्या समाधान होना चाहिये?

- **अवसर अवसररचना को नया रूप देना:** हमारी अवसर अवसररचना को नया रूप देने के लिये शिक्षा, रोजगार क्षमता और रोजगार के '3Es' (education, employability, employment) के सुधारों में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।
 - शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य सरकारों को कक्षा के छोटे आकार, शैक्षिक योग्यता या शैक्षिक वेतन पर अधिक ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय प्रदर्शन प्रबंधन, शासन और 'सॉफ्ट' कौशल की बाध्यकारी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना चाहिये।
 - रोजगार क्षमता के मामले में हमें अभ्यास से सीखने (learning by doing), सीखने के साथ आय अर्जन करने (learning while earning), क्वालफिकेशन मॉड्यूलरिटी के साथ सीखने (learning with qualification modularity), मल्टीमॉडल डिलीवरी के साथ सीखने (learning with multimodal delivery) और सिग्नलिंग वैल्यू के साथ सीखने (learning with signaling value) के पाँच डिज़ाइन सिद्धांतों के अनुरूप प्रणाली को फरि से डिज़ाइन कर नयिकताओं से कौशल के लिये बड़े पैमाने पर नए वित्तपोषण को आकर्षित करना चाहिये।
 - इसके लिये 'रेगुलरिटी कोलेस्ट्रॉल' को समाप्त करने की आवश्यकता है जो डिग्री को प्रशिक्षुता से संबद्ध करने को नषिदिध करता है, प्रशिक्षुता को नौकरियों के साथ भरमति करता है, पारंपरिक विश्वविद्यालयों की तरह व्यावसायिक विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करता है और ऑनलाइन उच्च शिक्षा के विकास को बाधित करता है।
 - रोजगार के मामले में, बड़े पैमाने पर गैर-कृषि, उच्च-मज़दूरी, औपचारिक रोजगार सृजन के लिये नयिकताओं हेतु रेगुलरिटी कोलेस्ट्रॉल में कटौती की आवश्यकता है जो नई श्रम संहिता पारित करने के माध्यम से मुकदमेबाजी, अनुपालन, फाइलिंग और अपराधीकरण को बढ़ावा दे।
 - वनरिमाण क्षेत्र में बहुत सा कार्य हो रहा है, जो कार्यालयों वाले बड़े नयिकताओं पर कम आशरति है और जो अधिकांशतः सूचकांक से लकिड नहीं हैं और वे परिभाषित लाभ पेंशन प्रदान नहीं करते हैं।
 - लेकिन हमारे मौजूदा श्रम कानून छोटे नयिकताओं की अनदेखी करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और लोगों की जगह मशीनों को नयिजति करने को प्रोत्साहित करते हैं।
 - इस परिदृश्य में हमारे श्रम कानूनों में भी सुधार किया जाना चाहिये।
- **समान व्यवहार:** समानता को बढ़ावा देने का एक बुनियादी पहलू यह है कि सुनिश्चित किया जाए कि सभी व्यक्तियों के साथ उचित और भेदभाव रहित व्यवहार किया जाए। इसका अभिप्राय यह है कि लोगों को उनकी पृष्ठभूमि (जैसे कि उनके माता-पिता की स्थिति) के आधार पर अलाभ या विशेषाधिकार प्राप्त नहीं हों।
- **नषिपक्ष प्रतिसिपर्द्धा:** लोगों के लिये प्रतिसिपर्द्धा के एकसमान अवसर को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, जहाँ व्यक्तियों को अपने कौशल, क्षमताओं और प्रयासों के आधार पर सफल होने के समान अवसर प्राप्त हों। यह व्यक्तियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने के लिये प्रेरित करने के माध्यम से उत्कृष्टता को बढ़ावा देता है।
- **प्रतफिलों का नषिपक्ष आकलन:** किसी व्यक्ति के प्रदर्शन, कौशल और योगदान के उचित और नषिपक्ष मूल्यांकन के माध्यम से प्रतफिलों को निर्धारित किया जाना चाहिये। यह सुनिश्चित करेगा कि सफलता के निर्धारण में योग्यता और उपलब्धि प्राथमिक कारक हैं।
- **प्रयास और साहस के आधार पर आकलन:** कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और अपने लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के साहस के महत्त्व पर बल देने से व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी और व्यक्तिगत प्रयास की संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद मिलती है।
- **संसाधनों का वविकपूर्वक उपयोग:** आधुनिक राज्य को कल्याणकारी राज्य होना चाहिये और भविष्य में इसे आदर्श राज्य तब समझा जाएगा जब इसकी एक ऐसी सरकार हो जो समाज के संसाधनों का उपयोग उन लोगों को गुणवत्तापूर्ण भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा एवं आवास प्रदान करने के लिये करे जिन्हें इसकी आवश्यकता है।
 - लेकिन यह सुरक्षा जाल कर्महीनता का पर्याय नहीं बन जाए। बेरोजगार कामगारों को कार्यरत कामगारों के समान आय नहीं मिल सकती

है क्योंकि काम करने से प्राप्त लाभ महज आय पाने तक ही सीमति नहीं है। इसी प्रकार, अमीर लोगों को सस्ता खाद्य, गैस या डीज़ल नहीं मलिना चाहिये।

- नीतिको सब्सिडी के लिये आधार-सकषम प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण क्रांतिमें तेज़ी लानी चाहिये।

नषिकर्षः

गांधीजी का मानना था कि **सर्वोदय (सभी का विकास) अंत्योदय (कमज़ोरों का कल्याण) के माध्यम से पूरा** हो सकेगा। दार्शनिकों ने इस दृष्टिकोण से विचार किया है और नषिकर्ष निकाला कियेद आप दुनिया में अपना स्थान जाने बिना इसे डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप सभी के लिये **नषिकर्षता सुनिश्चिती** कर सकेंगे। आरक्षण सामाजिक न्याय के लिये एक बहुमूल्य साधन है लेकिन **‘पूरण सवराज’ के कई साल गुज़रने के बाद** अब इसे त्यागने का समय आ गया है जो प्रायः **राजनीतिक हेरफेर के अधीन होती है और इसके बदले कुछ ऐसा अपनाने की आवश्यकता है** जो अगले दशकों में अधिक सार्वभौमिक हो।

अभ्यास प्रश्नः सामाजिक विकास, आर्थिक विकास और समानता पर आरक्षण नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। एक उचित एवं नषिकर्ष समाज सुनिश्चिती करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये जा सकते हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्नः

प्रश्नः क्या राष्ट्रीय अनुसूचिती जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचिती जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के कार्यान्वयन को लागू कर सकता है? परीक्षण कीजिये। (मुख्य परीक्षा 2018)

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/rethinking-reservation-policies-in-india>

